


| आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कारवाई एवं तिथि |
|------------------------------|--|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | <p>अभिलेख उपस्थापित किया गया। देनदार कुशल गागराई, पिता- स्व० रघु गागराई ग्राम- कुमारडुंगी थाना- कुमारडुंगी, जिला पश्चिमी सिंहभूम; झारखण्ड का नीलाम पत्र वाद सं० 92(Adv)/70-71 के नाम से नोटिस तामिला किया गया। देनदार से नीलाम पत्र की राशि मुलधन-464.79 ब्याज-1185.11 लगत-5.00 कुल-1654.90 रूपये बिहार उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम 1914 के अन्तर्गत वसूली कर ली गयी है। अतः अभिलेख की आगे की कार्रवाई बन्द की जाती है।</p> <p style="text-align: center;">  नीलाम पत्र पदाधिकारी, कुमारडुंगी। </p> | |